

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज लखनऊ-226001

पत्र सं०- १९ / निर्वाचन व्यय सेल / वि०स०सा०नि०-2022 / पत्रा०-01 / 2021 दिनांक 15 जनवरी, 2022

सेवा में,

- 1- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश। 2- जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, उत्तर प्रदेश।

विषय:- Conduct fo Elections (Amendment) Rules, 2022-Amendment of Rule 90 of Conduct of Elections Rules,1961-Increase in maximum limit of election expenses-regarding.

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-3/4/2022/SDR/Vol.I, दि० 14 जनवरी, 2022 का संलग्नक सहित अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- आयोग के पत्र के साथ संलग्न विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना एस०ओ० 72(ई), दिनांक 06 जनवरी, 2022 के द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 संशोधन के अन्तर्गत लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम निर्वाचन व्यय को बढ़ाया गया है। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब यह सीमा रू० 40,00,000-00 कर दी गयी है। आयोग द्वारा अधिसूचना की प्रति समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग आफिसरों एवं अन्य सम्बंधितों तथा समस्त राजनैतिक दलों के संज्ञान में लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आयोग के उक्त पत्र की प्रति संलग्नक सहित आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया आयोग के उक्त निर्देशों को समस्त सम्बंधितों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)

विशेष कार्याधिकारी।

पत्र सं०- १९ / निर्वाचन व्यय सेल / वि०स०सा०नि०-2022 / पत्रा०-1 / 2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-

- 1- अध्यक्ष/महामंत्री, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उ०प्र० को आयोग के पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2022 की प्रति संलग्नक सहित सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।  
2- प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि पत्र के साथ संलग्न आयोग के पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र राय)

विशेष कार्याधिकारी।



Speed Post/E-mail

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.3/4/2022/SDR/Vol.I

Dated: 14<sup>th</sup> January, 2022

To,

The Chief Electoral Officers  
all States and Union Territories.

Sub: Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2022 – Amendment of Rule 90 of Conduct of Elections Rules, 1961 – Increase in maximum limit of election expenses – regarding.

Sir/Madam,

I am directed to send herewith a copy of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department's, Notification S.O. 72(E) dated 6<sup>th</sup> January, 2022 amending Rule 90 of Conduct of Elections Rules, 1961 thereby increasing the upper limit of election expenses applicable to candidates at elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies. This may be brought to the notice of all District Election Officers, Returning Officers and other election authorities concerned and also to the State Units of recognized political parties and all registered unrecognized political parties based in your State/Union territory, for their information.

Kindly acknowledge receipt.

महत्त्वपूर्ण  
ACEO (CS)

14.1.22

(अजय कुमार शुक्ला)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव, निर्वाचन  
उत्तर प्रदेश, शासन।

1080/

FAO

14.1.22  
विशेष कार्यवाहक निर्वाचन एवं  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री अजय कुमार शुक्ला

15-01-2022

Yours faithfully,

(Ashwani Kumar Mohal)  
Secretary

75/050/22  
FAO

15/1/22  
(रमेश चन्द्र राय)  
विशेष कार्यवाहक  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232461  
CG-DL-E-06012022-232461

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]  
No. 71]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2022

का.आ. 72(अ).—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 77 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में, विद्यमान सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

“सारणी

क्रम संख्या	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्न में से किसी एक में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	सभा निर्वाचन-क्षेत्र
1	2	3	4
		रुपए	रुपए
	I. राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	95,00,000	40,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	75,00,000	28,00,000
3.	असम	95,00,000	40,00,000

4.	बिहार	95,00,000	40,00,000
5.	छत्तीसगढ़	95,00,000	40,00,000
6.	गोवा	75,00,000	28,00,000
7.	गुजरात	95,00,000	40,00,000
8.	हरियाणा	95,00,000	40,00,000
9.	हिमाचल प्रदेश	95,00,000	40,00,000
10.	झारखंड	95,00,000	40,00,000
11.	कर्नाटक	95,00,000	40,00,000
12.	केरल	95,00,000	40,00,000
13.	मध्य प्रदेश	95,00,000	40,00,000
14.	महाराष्ट्र	95,00,000	40,00,000
15.	मणिपुर	95,00,000	28,00,000
16.	मेघालय	95,00,000	28,00,000
17.	मिजोरम	95,00,000	28,00,000
18.	नागालैंड	95,00,000	28,00,000
19.	ओडिशा	95,00,000	40,00,000
20.	पंजाब	95,00,000	40,00,000
21.	राजस्थान	95,00,000	40,00,000
22.	सिक्किम	75,00,000	28,00,000
23.	तमिलनाडु	95,00,000	40,00,000
24.	तेलंगाना	95,00,000	40,00,000
25.	त्रिपुरा	95,00,000	28,00,000
✓ 26.	उत्तर प्रदेश	95,00,000	40,00,000
27.	उत्तराखंड	95,00,000	40,00,000
28.	पश्चिमी बंगाल	95,00,000	40,00,000
II. संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	75,00,000	-
2.	चंडीगढ़	75,00,000	-
3.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	75,00,000	-
4.	दिल्ली	95,00,000	40,00,000
5.	लक्ष्यद्वीप	75,00,000	-
6.	पुडुचेरी	75,00,000	28,00,000
7.	जम्मू-कश्मीर	95,00,000	40,00,000
8.	लद्दाख	75,00,000	-

[फा. सं. एच-11019/7/2020-वि. II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 859(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3667(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

## (Legislative Department)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6<sup>th</sup> January, 2022

**S.O. 72(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 90, for the existing Table and entries relating thereto, the following Table and the entries shall be substituted, namely:—

"TABLE

S. No.	Name of State or Union territory	Maximum limit of election expense in any one	
		Parliamentary constituency	Assembly constituency
1	2	3	4
		Rs.	Rs.
<b>I. STATES</b>			
1.	Andhra Pradesh	95,00,000	40,00,000
2.	Arunachal Pradesh	75,00,000	28,00,000
3.	Assam	95,00,000	40,00,000
4.	Bihar	95,00,000	40,00,000
5.	Chhattisgarh	95,00,000	40,00,000
6.	Goa	75,00,000	28,00,000
7.	Gujarat	95,00,000	40,00,000
8.	Haryana	95,00,000	40,00,000
9.	Himachal Pradesh	95,00,000	40,00,000
10.	Jharkhand	95,00,000	40,00,000
11.	Karnataka	95,00,000	40,00,000
12.	Kerala	95,00,000	40,00,000
13.	Madhya Pradesh	95,00,000	40,00,000
14.	Maharashtra	95,00,000	40,00,000
15.	Manipur	95,00,000	28,00,000
16.	Meghalaya	95,00,000	28,00,000
17.	Mizoram	95,00,000	28,00,000
18.	Nagaland	95,00,000	28,00,000
19.	Odisha	95,00,000	40,00,000
20.	Punjab	95,00,000	40,00,000
21.	Rajasthan	95,00,000	40,00,000
22.	Sikkim	75,00,000	28,00,000
23.	Tamil Nadu	95,00,000	40,00,000

24.	Telangana	95,00,000	40,00,000
25.	Tripura	95,00,000	28,00,000
26.	Uttar Pradesh	95,00,000	40,00,000
27.	Uttarakhand	95,00,000	40,00,000
28.	West Bengal	95,00,000	40,00,000
<b>II. UNION TERRITORIES</b>			
1.	Andaman and Nicobar Islands	75,00,000	-
2.	Chandigarh	75,00,000	-
3.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	75,00,000	-
4.	Delhi	95,00,000	40,00,000
5.	Lakshadweep	75,00,000	-
6.	Puducherry	75,00,000	28,00,000
7.	Jammu and Kashmir	95,00,000	40,00,000
8.	Ladakh	75,00,000	- "

[F. No. H-11019/7/2020-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 859(E), dated the 15<sup>th</sup> April, 1961 and were last amended *vide* notification number S.O. 3667(E), dated the 19<sup>th</sup> October, 2020.

